कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 187/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 14.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 14.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट, दिनांक 14.05.2026
थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी व धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

मिशन शक्ति अभियान के तहत गम्भीरपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, अभियुक्त को भेजा गया न्यायालय

दिनांक 13.05.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना गम्भीरपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि वादी अपनी रिश्तेदारी में गया था। इसी दौरान विपक्षी कृष्णा उर्फ निरहू पुत्र रामाश्रय निवासी अछीछी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष द्वारा वादी की 08 वर्ष एवं 06 वर्ष की नाबालिग पोतियों के साथ छेड़खानी की गयी तथा घटना के सम्बन्ध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 116/2026 धारा 75, 333, 351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के क्रम में महिला एवं बाल अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कृष्णा उर्फ निरहू पुत्र रामाश्रय निवासी अछीछी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को दिनांक 14.05.2026 को अछिछी मोड़ से समय करीब 09.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- अभियुक्त कृष्णा उर्फ निरहू पुत्र रामाश्रय निवासी अछीछी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 116/2026 धारा 75/333/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा, कां0 सुरेश कुमार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

➡️ अतरौलिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई, अभियुक्त के कब्जे से .315 बोर तमंचा बरामद

दिनांक 14.05.2026 को उ0नि0 मनोज यादव मय हमराही पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में देखभाल क्षेत्र एवं वाहन चेकिंग की कार्यवाही की जा रही थी। पुलिस टीम अचलीपुर बाईपास क्षेत्र में मौजूद थी कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध असलहा लेकर ग्राम मांझीपुर पोखरे के पास मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए अभियुक्त सेराज पुत्र स्व0 अली अहमद निवासी ग्राम पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

बरामद असलहा एवं कारतूस के सम्बन्ध में अभियुक्त से वैध अभिलेख मांगा गया तो वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियुक्त का कृत्य धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय पाए जाने पर उसे समय करीब 09.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-177/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सेराज पुत्र स्व0 अली अहमद निवासी ग्राम पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-177/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मनोज यादव
2. हे0का0 मनीष सिंह
3. हे0का0 मनोज यादव
4. का0 मनीष यादव
5. रि0का0 शिवम कुमार

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

➡ सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति व मारपीट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ रानी की सराय पुलिस ने अभियुक्त को कोटवा गेट के पास से दबोचा

वादी जयकरण सिंह पुत्र सुंदरलाल सिंह निवासी कपसेठी थाना करवी कोतवाली नगर जनपद चित्रकूट की लिखित तहरीर के आधार पर थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0-107/2026 धारा 316(5), 331(1), 352, 351(3) बीएनएस व 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाम भोला प्रजापति पुत्र राम लौटन प्रजापति निवासी रामपुर थाना शाहगंज जिला जौनपुर उम्र करीब 56 वर्ष पंजीकृत किया गया था। मुकदमे की विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर एवं थानाध्यक्ष रानी की सराय के नेतृत्व में उ0नि0 हैदर अली मंसूरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त भोला प्रजापति राजकीय उद्यान कोटवा गेट के सामने मौजूद है तथा कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त भोला प्रजापति पुत्र राम लौटन प्रजापति निवासी रामपुर थाना शाहगंज जिला जौनपुर उम्र करीब 56 वर्ष को दिनांक 13.05.2026 को समय करीब 08.10 बजे राजकीय उद्यान कोटवा गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. भोला प्रजापति पुत्र राम लौटन प्रजापति निवासी रामपुर थाना शाहगंज जिला जौनपुर, उम्र करीब 56 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-107/2026 धारा 316(5), 331(1), 352, 351(3) बीएनएस व 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हैदर अली मंसूरी
2. का0 देवेश गौड़
3. रि0का0 सुनील वर्मा

थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।